दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 23.09.2015 को पूर्वाहन 10:00 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री अरुण गोयल

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, डीडीए
4. श्री अभय सिंह
   अभियंता सदस्य, डीडीए
5. श्री डी. एस. मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
6. श्री पी. के. त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
7. श्री विजेंद्र गुप्ता, एमएलए
8. श्री एस. के. बग्गा, एमएलए
9. श्री ओ.पी. शर्मा, एमएलए
10. श्री सतीश उपाध्याय
    निगम पार्षद, एसडीएमसी
11. डॉ. (श्रीमती) रजनी अब्बी
    निगम पार्षद, एनडीएमसी

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, डीडीए

विशेष आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

1. श्री के.के. शर्मा
   मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी
2. श्री जे.पी. अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (एलडी, हाउसिंग एवं सीडब्ल्यूजी), डीडीए
3. श्री पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, एसडीएमसी
4. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल दिल्ली की अपर सचिव
5. डॉ. सिम्मी मल्होत्रा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, एकेडमिक, आर्ट, कल्चर एवं लैंग्वेज)
6. श्री विश्वेंद्र
   उपराज्यपाल दिल्ली के निजी सचिव
7. श्री एस. पी. पाठक
   आयुक्त (योजना), डीडीए
8. श्री अनिल कुमार शर्मा
   मुख्य विधि सलाहकार, डीडीए
9. श्री डी. पी. सिंह
   मुख्य अभियंता (द्वारका)
10. श्री रमेश कुमार
    मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
11. श्री वीके जैन
    सी ई ओ, डीयूएसआईबी
12. श्री शमशेर सिंह
    मुख्य नगर नियोजक, एसडीएमसी एवं एनडीएमसी
13. श्री सुनील कुमार मेहरा,
    मुख्य नगर नियोजक, ईडीएमसी
14. श्री के. के. जोडर,
    मुख्य नियोजक, टीसीपीओ
15. श्री अमरदीप सिंह,
    वित्त सलाहकार (आवास), डीडीए
16. श्री कमल जोशी,

निदेशक (एलसी), डीडीए

17. श्री एलडी जोशी,
    उपसचिव (वित्त), जीएनसीटीडी
18. श्री पी एस उत्तरवार
    अपर आयुक्त (योजना), डीडीए
19. श्री विनोद साकले
    अपर आयुक्त (योजना), डीडीए
20. श्री अमित कुमार दास
    अपर आयुक्त (योजना), डीडीए
21. श्री चंदू भूटिया,
    निदेशक (योजना), डीडीए
22. श्री एस बी खोडानकर
    निदेशक (योजना), डीडीए
23. श्री एचके भारती
    निदेशक (योजना) यूटीपैक, डीडीए
24. श्री राजेश कुमार जैन
    निदेशक (योजना), डीडीए
25. श्री सुरजीत जराधरा,
    निदेशक (भवन), डीडीए
26. श्री जवाहर यादव
    अभियंता सदस्य के अभियंता अधिकारी-II, डीडीए
27. श्रीमती निमोधर
    सलाहकार (जनसंपर्क), डीडीए

I.माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, डीडीए ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं: 90/2015</u>

दिनांक 16.06.2015 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

एफ.2(2)2015/एमसी/डीडीए

1. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि चूंकि वे 16.06.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित नहीं थे, अत: एजेंडा मद सं. 84/2015 में निहित बाईसाइकिल शेयरिंग पॉलिसी में कुछ परिवर्तन अपेक्षित हैं।

(i) माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि यह केवल 16.06.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि है और शहरी विकास मंत्रालय, यदि ऐसा चाहे तो, पॉलिसी की पुन: जांच के लिए दि.वि.प्रा. को लिख सकता है, ताकि इस पर प्राधिकरण की अगली बैठक में चर्चा की जा सके।

(ii) दिनांक 16.06.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

मद सं: 91/2015

दिनांक 24.04.2015 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ 2(3)2015/एमसी/डीडीए

दिनांक 24.04.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की गई।

मद सं: 92/2015

राहगिरी दिवस मनाने के लिए निधियों का पुन: विनियोजन।

एफ 4(3)91/बजट/2015-16/राहगिरी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं: 93/2015

वित्त वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक खातों का अंगीकरण।

एफ.6(6)2015-16/एकाउंट्स(एम)डीडीए/वार्षिक खाता 2014-15

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 94/2015

दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, फेज-III के मुकुंदपुर-यमुना विहार कोरिडोर हेतु मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए बसई दारापुर, रिंग रोड स्थित शिवाजी पार्क में 8367.10 वर्ग मी. भूमि के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' (पी-2 जिला पार्क) से 'परिवहन' (टी-3-एमआरटीएस परिचालन) में परिवर्तन।

एफ.20(05)2013/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 95/2015</u>

योजना जोन-डी में आने वाले 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली में भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एवं सीसीआई) के नए कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए 3019.5 वर्ग.मी. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से 'सरकारी (सरकारी कार्यालय)' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(03)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण को शहरी विकास मंत्रालय एमओयूडी के अवलोकनों के बारे में भी सूचना दी गई, जिसमें निम्नानुसार निदेश दिए गए:

"प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिनांक 25.07.2008" को अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया के औपचारिक रूप से शुरू होने से पूर्व एलबीजैड के लिए विकास योजनाओं से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसरण में पीएमओ से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार ड्राफ्ट जैड डी पी को भेजने का अनुरोध किया है।

तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखने से पूर्व जोन-डी हेतु मसौदा जैडडीपी की एक प्रति पीएमओ में आगे प्रेषित करने के लिए इस मंत्रालय में उपलब्ध करवाई जाए।

यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के अनुसार भूमि उपयोग के परिवर्तन की आगे की कार्रवाई हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित करने के लिए एजेंडा मद को अनुमोदित माना जाए। यह उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पीएमओ से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही अंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है।

<u>मद सं: 96/2015</u>

योजना जोन-डी में आने वाले पॉकेट-V, डीडीयू मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली प्रदेश) को आबंटित 809 वर्ग.मी. के क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का 'आवासीय (नर्सरी स्कूल)' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सावजनिक सुविधाओं' में प्रस्तावित परितर्वन।

एफ.20(02)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 97/2015

स्टेट भवन/स्टेट गेस्ट हाऊस के लिए एक पृथक श्रेणी को शामिल करते हुए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के प्रावधानो की समीक्षा।

एफ.20(09)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को एजेंडा मद सं. 95/2015 में विनिर्धारित शर्तों पर अनुमोदित किया गया।

मद सं: 98/2015

जोन-जे, दक्षिणी दिल्ली-II में तुगलकाबाद स्थित दिल्ली ट्रांसको लि. (डीटीएल) के लिए 400 के वी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना हेतु 2.51 है. क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक उपयोग' (क्षेत्रीय पार्क) से उपयोग (यू-3) में परिवर्तन।

एफ.20(33)/2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 99/2015

जोन-जे में मैदान गढ़ी गांव 3.48 है. (8.6 एकड़) भूमि के भूमि उपयोग का 'आवासीय उपयोग' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस-1) में परिवर्तन।

एफ.20(28)/2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 100/2015

जोन-जे में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इग्नू परिसर के समीप, मैदानगढ़ी स्थित 3.74 है. (9.25 एकड़) स्थल के भूमि उपयोग का 'आवासीय' भूमि उपयोग और 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस-1) से 'उपयोगिता (यू-4) में परिवर्तन।

एफ.3(12)2014/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं: 101/2015

अस्पतालों में प्रतीक्षा/स्वागतकक्ष के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ 13(02)/2013-एमपी

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, एजेंडा मद पर निर्णय को टाल दिया गया। दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध सरकारी अस्पतालों में प्रतीक्षा/स्वागत हॉल के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता को अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

<u>मद सं: 102/2015</u>

प्लॉट सं 25-बी, अकबर रोड, दिल्ली में गुजरात सरकार को नई दिल्ली में इसके दूसरे गेस्ट हाऊस के निर्माण हेतु आबंटित 7066 वर्ग.मी. (0.71 है.) भूमि के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के उप-खण्ड 8(2) के अंतर्गत आवासीय उपयोग जोन में गेस्ट हाऊस की अनुमेयतता।

एफ 20(06)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को एजेंडा मद सं. 95/2015 में विनिर्धारित शर्तों पर अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 103/2015</u>

योजना जोन-डी में आने वाले कर्जन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, में विशिष्ट कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित 1.40 हे. (3.462 एकड़) क्षेत्रफल के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से 'सरकारी कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.3(68)2008/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को एजेंडा मद सं. 95/2015 में विनिर्धारित शर्तों के आधार पर अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 104/2015</u>

दिल्ली में नए 'बूचड़खाने' हेतु प्रावधानों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(143)82/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 105/2015</u>

जोन पी-1, नरेला में इलैक्ट्रिसिटी (पावर हाऊस, सब-स्टेशन) के लिए 40,000 वर्ग मी. क्षेत्र के भूमि उपयोग का सरकारी से 'उपयोगिता' में परिवर्तन।

एफ.20(32)/2014-एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 106/2015</u>

रैन बसेरे के विकास नियंत्रण मानदण्ड के संदर्भ में दि.मु.यो.-2021 में संशोधन हेतु प्रस्ताव।

एफ.3(80)/2007/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया, जो बड़े पैमाने पर जनहित में सार्वजनिक सूचना का भाग नहीं थे:

1. प्लॉट का न्यूनतम आकार : 100 वर्ग मी.
2. पार्किंग : प्लॉट का आकार

500 वर्ग मी. से कम : शून्य

500 वर्ग मी. और उससे अधिक : 2 कार/सर्विस वाहन

<u>मद सं: 107/2015</u>

(सी जी एच एस) को-ओपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग फ्लैटों और डीडीए द्वारा निर्मित फ्लैटों में लिफ्ट लगाने हेतु नीति।

एफ.ईएम.3(7)05/लिफ्ट/पार्ट

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 108/2015</u>

वित्त वर्ष 2015-2016 हेतु टीकरी कलां के संदर्भ में पूर्व-निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण

एफ 4(46)2014/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 109/2015</u>

वर्ष 2015-2016 हेतु दुरुपयोग प्रभारों की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.2(14)96-97/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट-II

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं: 110/2015</u>

कार्य निष्पादन बजट संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पणी

एफ.4(3)91/पर्फो.बजट/2014-15

वर्ष 2014-15 हेतु कार्यनिष्पादन बजट संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पणी को नोट कर लिया गया।

<u>मद सं: 111/2015</u>

राष्ट्रमंडल खेल गांव और क्लब/सामुदायिक केन्द्र में 12,841.35 वर्ग मी. के अधिक क्षेत्रफल मामला।

एफ.13(127)07/बिल्डिंग/वाल्यू.XII

(i.) मामले पर विस्तृत चर्चा की गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने परियोजना की पृष्ठभूमि और इसकी अपर्याप्त निगरानी पर गहरी चिंता व्यक्त की।

(ii.) यह सुझाव दिया गया कि चूंकि परियोजना विकासकर्ता ने विधि और परियोजना विस्तार करार का उल्लंघन किया है, इसलिए केवल गांव के आवासीय और क्लब/सामुदायिक केंद्र घटकों में 12,841.35 वर्ग मी. का सम्पूर्ण अधिक निर्मित क्षेत्र, परियोजना विकासकर्ता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान किए बिना जब्त कर लिया जाए।

(iii.) यह निर्णय लिया गया कि डीडीए सम्पूर्ण अधिक क्षेत्र को जब्त करेगा। इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव, प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अन्य मदें:-

(i.) **एक शयन कक्ष फ्लैटों के कश्मीरी प्रवासी आबंटितियों के बकाया/अधिक बकाया पर 100% ब्याज में राहत।**

एफ.312(3006)एचएसआरकेएम/2004/डी डब्ल्यू

शहरी विकास मंत्रालय का निर्णय प्राधिकरण द्वारा नोट कर लिया गया।

(ii.) **24.04.2015 और 16.06.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दों' पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।**

एफ.2(2)2015/एमसी/डीडीए

24.04.2015 और 16.06.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दों' पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट कर ली गई है।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।